परिशिष्ट IV

देखें नियम 8(1)

कब्जा सूचना

(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **बालाजी सर्विसेस के मालिक पवन कपूर, चंचल कपूर और सुशिल बन्सल (गॅरेन्टर)** को **21.06.2021** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HHLDMT00444539** की राशि **रू. 42,95,550.36 (रूपये बयालीस लाख पचानवे हजार पाँच सौ पच्चास और छत्तीस पैसा मात्र)** और **08.06.2021** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **08.12.2021** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. **42,95,550.36 (रूपये बयालीस लाख पचानवे हजार पाँच सौ पच्चास और छत्तीस पैसा मात्र) 08.06.2021** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा.

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

पहली मंजिल पर संपत्ति बेअरींग नं. डी-67 का पश्चिमी भाग, मापित एरिया 100 स्क्वे. यार्डस से बाहर रेक्ट नं. 27, किला नं. 2, आबादी का डी-ब्लॉक में स्थित, नई गोबिंद पुरा, गाँव खुरेजी खास, इलाका शहादरा, नई दिल्ली - 110051 और जो निम्नुसार परिबध्द है :

पूर्व : अन्य की संपत्ति
पश्चिम : संपत्ति नं. डी-66
उत्तर : गली
दक्षिण : गली

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

दिनांक : 08.12.2021
स्थान : नई दिल्ली

RPIL

BUSINESS PARK

रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 11/5बी, पूसा रोड, नई दिल्ली, दिल्ली110060 भारत
फोन: +91-9212359076, ईमेल-आईडी: riteshlimited8@gmail.com
वेबसाइट: www.riteshindustries.us, सीआईएन : L74899DL1987PLC027050

चौंतीसवीं (34वीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम), रिमोट ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

1. एतद्वारा सदस्यों को सूचना दी जाती है कि 34वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के लेन-देन के लिए कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (''एमसीए'') के सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 तथा 17/2020 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020 तथा 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठित सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम, 2013'') के प्रयोज्य प्रावधानों तथा सेबी परिपत्र sebi/ho/cfd/cmd1/cir/p/2020/ दिनांक 12 मई, 2020 और 15 जनवरी, 2021 के अनुसार रितेश प्रॉपर्टीज एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों की चौंतीसवीं (34वीं) वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') शुक्रवार, 31 दिसम्बर, 2021 को 12.00 बजे दोपहर (भा.मा.स.) पर वीडियो कांफ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जायेगी।
2. एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक शनिवार, 25 दिसंबर, 2021 से शुक्रवार 31 दिसंबर, 2021 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।
3. जारी कोविड-19 महामारी को देखते हुए, सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 तथा सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 क्रमशः दिनांक 12 मई, 2020 एवं 15 जनवरी, 2021 तथा अन्य प्रयोज्य परिपत्रों (इसके पश्चात सामूहिक रूप से ''सेबी परिपत्र'' सन्दर्भित) के साथ पठित कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (''एमसीए'') ने अपने परिपत्र सं. 14/2020, सं. 17/2020 तथा सं. 20/2020 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 एवं सामान्य परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 एवं अन्य प्रयोज्य परिपत्रों (इसके पश्चात सामूहिक रूप से ''एमसीए परिपत्र'' सन्दर्भित) के माध्यम से वीडियो कांफ्रेंसिंग ('वीसी') या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से कम्पनियों को अपनी वार्षिक आम बैठक संचालित करने की अनुमति दी है जिसमें किसी कॉमन स्थान पर सदस्यों, निदेशकों, लेखापरीक्षकों एवं अन्य व्यक्तियों की शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है, इसे देखते हुए, कम्पनी की 34वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित की जा रही है। 34वीं एजीएम के लिए माना जाने वाला स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा जो 11/5 बी, पहली मंजिल, पूसा रोड, नई दिल्ली

पंजाब नैशनल बैंक ......भरोसे का प्रतीक **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

शाखा 17, प्रभात किरन बिल्डिंग, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008
ई–मेल: bo1522@mail.pnb.co.in

कब्जा सूचना (नियम 8(1))

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के **पंजाब नैशनल बैंक, शाखाः राजेन्द्र प्लेस, प्रभात किरन बिल्डिंग, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 (इसके बाद "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **उधारकर्ता श्री सुशील सिंह, 645, प्रथम तल, ब्लॉक नं. I, सैक्टर सीएचआई–पीएचआई, ग्रेटर नोएडा, जी.बी. नगर (यू.पी.) – 201301 ने निम्नलिखित ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया (सावधि ऋण) (नकद ऋण), को मांग नोटिस दिनांक 14.06.2021 को जारी किया था, जिसमें बकाया राशि रू. 7,98,654.80 (रु. सात लाख अट्ठान्वे हजार छः सौ चौवन और पैसे अस्सी मात्र) (दिनांक 09.06.2021 तक ब्याज की गणना) साथ में भविष्य का ब्याज, खर्चें और अन्य प्रभार इत्यादि सहित वसूली घटाकर पूर्ण चुकौती की तिथि तक** उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक के अधोहस्ताक्षरी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर दिनांक **04.12.2021** को कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **पंजाब नैशनल बैंक, के प्रभार वास्ते बकाया राशि रू. 7,98,654.80 (रु. सात लाख अट्ठान्वे हजार छः सौ चौवन और पैसे अस्सी मात्र) (दिनांक 09.06.2021 तक ब्याज की गणना) साथ में भविष्य का ब्याज, खर्चें और अन्य प्रभार इत्यादि सहित वसूली घटाकर पूर्ण चुकौती की तिथि तक** के अधीन होगा।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी फ्लैट नं. 645, प्रथम तल, ब्लॉक– I, सैक्टर सीएचआई–पीएचआई, ग्रेटर नोएडा, जीबी नगर (यू.पी.) – 201301 में स्थित

दिनांक: 04.12.2021, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank

जोन दिल्ली II, बी–38/39, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़ 1, नारायणा, नई दिल्ली–110028

शुद्धिपत्र

यह शुद्धिपत्र, दिनांक 17.11.2021 को इस समाचार पत्र में छपे ई–नीलामी जो कि 17.12.2021 को होना है, के संदर्भ में हैं **जिसमें से संपत्ति क्रम सं. 2, श्री मदन लाल जैन (शाखाः पहाड़गंज) की सम्पत्ति की ई–नीलामी को** किन्हीं अपरिहार्य **कारणों से निरस्त कर दी गयी है।** बाकी नियम व शर्तें पूर्वानुसार रहेंगी।

दिनांक: 09.12.2021
स्थान: नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब एण्ड सिंध बैंक

सार्वजनिक सूचना

मैसर्स वाई० पी० रीसाइक्लिंग इन्डस्ट्रीज, जिसका वर्तमान कार्यालय 137, गाँधी बाजार, पिलखुवा, जिला हापुड़ में स्थित है, जिसे 122, सेक्टर, -11, द्वारका, नई दिल्ली में स्थानान्तरित किया जा रहा है। जिस किसी भी व्यक्ति को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो वह अपनी आपत्तियों को इस सूचना प्रकाशन के 21 दिनों के भीतर कम्पनीज पंजीयक, कानपुर को सूचित करे।

हता०/–
यशपाल सिंह
पुष्पेन्द्र जौहर
नामित साझेदार

दिनांक : 09.12.2021
स्थान : पिलखुवा

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिद्वार उत्तराखण्ड

प्रकीर्ण वाद सं. 56/2021

फियोनिक्स ए.आर.सी. प्रा. लि. (ट्रस्टी ऑफ फियोनिक्स ट्रस्ट एफ.वाई.17-6) जिसका मुख्य कार्यालय 5वां तल, डेनी कार्पोरेट पार्क, 158, सी.एस.टी. रोड, कलीना, शान्ताक्रुज (ईस्ट), मुम्बई-400098 द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/वाईस प्रेसीडेन्ट श्री सुरेश वरियम।

.... पिटीशनर/रिवीजनिस्ट

बनाम

शक्तिभोग फूड्स लि. एवं अन्य .... प्रतिवादीगण

प्रेषित-

1. शक्तिभोग फूड्स लि., मुख्य कार्यालय-1101-1103, पर्ल्स बिजनेस पार्क, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034
   अथवा द्वारा आफिसियल लिक्विडेटर, लोकनायक भवन, 8वां तल, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
2. केवल कृष्ण कुमार निवासी 15/61, पंजाबी बाग, वेस्ट दिल्ली, नई दिल्ली-110026
3. सिद्धार्थ कुमार निवासी 15/61, पंजाबी बाग, वेस्ट दिल्ली, नई दिल्ली-110026
4. कृष्ण कुमार शर्मा, डायरेक्टर-1101-1103, पर्ल्स बिजनेस पार्क, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034
5. गणेश गुलाटी, डायरेक्टर-1101-1103, पर्ल्स बिजनेस पार्क, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034
6. मंजू शर्मा, डायरेक्टर-1101-1103, पर्ल्स बिजनेस पार्क, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034
7. डेरीडीक्स रौबर्ट प्रेस्टन, डायरेक्टर-1101-1103, पर्ल्स बिजनेस पार्क, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034
8. राजीव लोचन, डायरेक्टर-1101-1103, पर्ल्स बिजनेस पार्क, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034
9. सुनन्दा कुमारी निवासी 15/61, पंजाबी बाग, वेस्ट दिल्ली, नई दिल्ली-110026
10. अन्य अज्ञात व्यक्ति।

अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम
थाना सिडकुल, जिला हरिद्वार

यह कि उपरोक्त वाद इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और उक्त वाद में वास्ते सुनवाई दिनांक 18.12.2021 नियत की गयी है।

अतः आपकी उपस्थिति इस न्यायालय के समक्ष जवाब एवं बहस के लिए दिनांक 18.12.2021 को अनिवार्य है। आपको आदेशित किया जाता है कि आप इस न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हों अन्यथा उक्त मामले का निस्तारण आपकी अनुपस्थिति में कर दिया जाएगा।

दिनांक 26/11/2021

न्यायालय के आदेश से-
सदर मुन्सरिम
जिला एवं सत्र न्यायालय
हरिद्वार, उत्तराखण्ड

सिक्युरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (कानून) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति (यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए.की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)
1	कर्ज खाता क्र.HHLDUB00459490 1.सुनील कुमार किशोर बचानी उर्फ सुनीलकुमार बचानी 2.किरण सुनील कुमार बचानी	विला नं.- 112, 6 पार्क व्यू, गौर यमुना सिटी, सेक्टर-19, स्पोर्टस सिटी ईस्ट, यमुना एक्सप्रेसवे, जिला गौतमबुद्ध नगर, गौतमबुद्ध नगर -201303, उत्तरप्रदेश	20.10.2021	रू.43,76,275.36/- (रूपए तैंतालीस लाख छिहत्तर हजार दो सौ पचहत्तर और छत्तीस पैसे मात्र) 20.10.2021 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला (ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पानेवाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले (लो) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले (लो) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवालो को अधिनियम की धारा 13(2)के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को द्रष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवन करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अधतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्को सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने/उनके पूर्ण दायित्वोका निर्वहन करे, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप -धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार,'' कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधी के अंदर सुरक्षित आस्ति को मोचन करनें में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपति का मोचन करने के लिए पात्र नही हो सकता "

सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13 (2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करनेसे प्रतिबंधित है।

स्थान: अहमदाबाद/गौतमबुद्ध नगर

प्राधिकृत अधिकारी
कृते इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

एनएचपीसी NHPC

एनएचपीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालयः एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर–33, फरीदाबाद–121003 (हरियाणा)
सीआईएन: L40101HR1975GOI032564
टेलीफोन : 0129-2250437
फैक्स नं.:0129-2278018
वेबसाइट : www.nhpcindia.com
ई-मेल: investorcell@nhpc.nic.in

सूचना

कम्पनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरण

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 ("आईईपीएफ नियम"), यथा संशोधित, के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसरण में, एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि जिन शेयरों के संबंध में लगातार सात या उससे अधिक वर्षों से लाभांश की अदायगी नहीं की गई है या शेयर धारकों द्वारा दावा नहीं किया गया है, उन्हें कम्पनी द्वारा आईईपीएफ में अन्तरित कर दिया जाएगा।

आईईपीएफ नियम में यथा निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन में, कम्पनी ने दिनांक 6 दिसम्बर, 2021 के अपने पत्र के माध्यम से संबंधित शेयरधारकों, जिनके शेयर 12 अप्रैल, 2022 तक आईईपीएफ में अंतरण के लिए देय हैं, को उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर सूचित किया है कि वे अपने अदावाकृत / अप्रदत्त लाभांशों के लिए दावा प्रस्तुत करें। ऐसे शेयरधारकों से संबंधित विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com में अपलोड किए गए हैं। कम्पनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरण को शेयरों का आईईपीएफ में अंतरण के संबंध में पर्याप्त नोटिस माना जाएगा। यह भी सूचित किया जाता है कि अधिनियम और आईईपीएफ नियम के अनुपालन में, ऐसे शेयरों पर मिलने वाले सभी लाभ अर्थात् लाभांश, बोनस शेयर आदि को भी आईईपीएफ में अन्तरित किया जाएगा।

जिन शेयरों के लिए अक्टूबर, 2021 तक लगातार सात या इससे अधिक वर्षों तक लाभांश अदावाकृत या अप्रदत्त रहे हैं, उन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण में पहले ही अंतरित किया जा चुका है। ऐसे शेयरधारकों का विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर उपलब्ध हैं।

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे वर्ष 2014–15 (अंतरिम लाभांश) से लेकर अबतक के वर्षों के लिए अदावाकृत लाभांश का दावा प्रस्तुत करने के लिए पैनकार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति, पते का प्रमाण और क्लाइंट मास्टर लिस्ट सहित अपना खाता संख्या या फोलियों नम्बर का उल्लेख करते हुए अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट को तुरंत एक औपचारिक पत्र भेजें। यदि कम्पनी / रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट को 13 मार्च, 2022 या ऐसी अन्य तारीख, जो आगे बढ़ाई जा सकती है, तक संबंधित शेयरधारकों से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो कम्पनी आईईपीएफ नियम में दी गई प्रक्रिया के अनुसार बिना अन्य सूचना दिए शेयरों को आईईपीएफ में अन्तरित करने की कार्रवाई आरम्भ कर देगी।

संबंधित शेयरधारक जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने हैं, वो ध्यान दें कि नियमानुसार इन शेयरों के डीमेटेरियलाइजेशन तथा इन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से कंपनी उनके द्वारा रखे गए मूल शेयर प्रमाणपत्र के बदले में नया प्रमाणपत्र जारी करेगी। इसके साथ ही, शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत मूल प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हो जाएंगे और विक्री योग्य नहीं रह जाएंगे।

शेयरधारक कृपया नोट करें कि आईईपीएफ नियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद आईईपीएफ में अन्तरित किए गए शेयरों और अदावाकृत राशियों के लिए आईईपीएफ से इन्हें वापस लेने का दावा किया जा सकता है। कृपया नोट करें कि उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में आईईपीएफ में अन्तरित की गई अदावाकृत राशि और शेयरों के संबंध में कम्पनी के विरूद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

इस विषय पर किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए शेयरधारक निम्नलिखित पतों पर सम्पर्क करें :

एनएचपीसी लिमिटेड
एनएचपीसी कार्यालय परिसर
सेक्टर–33 फरीदाबाद, हरियाणा –121003
टेलीफोन: 0129–2250437
फैक्स नं.: 0129–2278018
ई–मेल : investorcell@nhpc.nic.in

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड,
श्री अभिनव अग्रवाल/श्री महेश पाण्डेय
अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन,
नई दिल्ली-110055
दूरभाष: 011-42541234, 011-42541951,
टोल फ्री नंबर: 18601212155
फैक्स: 011-42541201, 011-23552001
ईमेल: alankit.nhpc@alankit.com

शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि शेयर अभौतिक रूप में धारित किए हैं तो अपनी डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के पास और यदि शेयर भौतिक रूप में धारित किए है तो कंपनी / आरटीए के पास अपने ईमेल आईडी और अन्य प्रासंगिक विवरण अद्यतन रखें।

एनएचपीसी लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से

हस्ता./-
(रूपा देब)
कम्पनी सचिव

दिनांक: 09.12.2021
स्थान : फरीदाबाद

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उपक्रम

जबलपुर अंचल कार्यालय: राईट टाउन,
जबलपुर फोन: 0761-2480065, 67, 68

ई- नीलामी द्वारा विक्रय हेतु आम सूचना

सरफेसी अधिनियम 2002 तथा सहपठित नियम 8(6) of 2002 के अंतर्गत की नीलामी के द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बंधक अचल संपत्ति के विक्रय की सूचना

इस आम सूचना के द्वारा बैंक के अनर्जक खातेदार, जमानतदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अचल संपत्तियाँ जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बंधक हैं तथा जिन का कब्जा (सांकेतिक/प्रत्यक्ष) प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत लिया जा चुका है। यह संपत्तियाँ ''जहाँ है जैसी है'' ''जैसा है जो है'' ''जहां भी है'' तथा ''दायित्व रहित'' आधार अनर्जक खातों में ऋण की वसूली हेतु दिनांक **27/12/2021** को ई नीलामी द्वारा विक्रय की जाएंगी। अनर्जक खाते, खाताधारक, जमानतदार, बैंक पर बकाया धनराशि, ऑनलाइन नीलामी द्वारा विक्रय की जाने वाली संपत्ति का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी में किसी तरह का संपत्ति पर भार, संपत्ति पर कब्जे का प्रकार, विक्रय की धनराशि (RESERVE PRICE), नीलामी में भाग लेने हेतु जमा की जाने वाली पूर्व धनराशि (EMD AMOUNT) इत्यादि की जानकारी निम्नलिखित है–

ऋणी/जमानतदार का नाम एवं पता	बकाया राशि जिसकी वसूली हेतु संपत्ति	संपत्ति का विवरण	ई–नीलामी की दिनांक	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि